न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 31/2020 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 14.02.2020
निर्णय दिनांक– 27.08.2020

1. श्री देवजी मीणा पिता श्री पाचिया, निवासी शकरकंद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री गोतिया पिता श्री पाचिया, निवासी शकरकंद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. मु. कंकुडी पत्नि देवजी मीणा, निवासी शकरकंद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. मु. गंगा पत्नि गोतिया मीणा, निवासी शकरकंद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण

बनाम

1. भैरिया पिता भोगजी मीणा, निवासी शकरकंद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. तहसीलदार, तहसील धरियावद व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थी

अधिवक्ता :
श्री रोशनलाल जैन : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री महेश भट्ट : रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक
प्रकरण संख्या 02/2016 निर्णय दिनांक 20.05.2016

निर्णय

दिनांक–27.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के

प्रकरण संख्या 02/2016 निर्णय दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध दिनांक 01.09.2016 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 14.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी वाके मौजा शकरकंद पटवार हल्का लोधिया, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ में आराजी नम्बर 189 मीन रकबा 12.02 बीघा स्थित होकर अपने बापदादा के समय से निर्विवाद रूप से भुगत भोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजी पर रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा मकान बना रखा है जहा पर अपने परिवार के साथ रहकर उक्त आराजी पर काश्त कर अपना जीवन यापन करता चला आ रहा है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने पटवारी से उक्त आराजी की नकल प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी अपीलांट्स/अप्रार्थीगण संख्या–1 के नाम दर्ज रेकार्ड हो चुकी है। अपीलांट्स/अप्रार्थीगण संख्या–1 ने अपने स्तर से राजस्व अधिकारी व कमेटी से मिली भगत/गलत जानकारी देकर उक्त आराजी अपने नाम पर दर्ज रेकार्ड अमल दरामद कराया जाने से रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 02/2016 निर्णय दिनांक 20.05.2016 से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट प्रार्थी स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया है ***"हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उभयपक्षों की बहस का अवलोकन किया। चुंकि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2069–2072 एवं पर्चा मौका दिनांक 03.04.2016 अनुसार अप्रार्थीगण को आवंटित की गई भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद नही हुआ है एवं ना ही आवंटीगण का कब्जा साबित हुआ है। उक्त आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गौण एवं औचित्यहिन है। दिनांक 07.02.2013 को आवंटी के आवंटन प्रार्थना पत्र में की गई समस्त कार्यवाहियां खारिज की जाती है एवं***

राजस्व रेकार्ड जमाबंदी, खसरा एवं ट्रेस यथावत रखा जाने का आदेश जारी किया जाता है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित व रेस्पोडेंट/प्रार्थी की ओर से श्री महेश भट्ट उपस्थित हुए। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 20.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, धरियावद द्वारा गठित आवंटन कमेटी के अनुसार दिनांक 07.02.2013 को मौजा शकरकंद की आराजी नम्बर 189 मी जो कि कुल सवाचवालिस बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि थी उसमे से 1 बीघा भूमि आवंटित की एवं आवंटित करने से पूर्व समस्त कार्यवाही पूर्ण की गयी। इससे पूर्व संबंधित पटवारी एवं भू.अ.नि. द्वारा भूमि की स्थिति का मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमें वर्णित किया कि प्रार्थी देवजी, गोतिया पिता पाचिया जाति मीणा निवासी शकरकंद की आराजी नम्बर 189 में 1 बीघा भूमि पर कब्जा है मौके पर विवाद नही है। प्रार्थी पर किसी प्रकार की बकाया नही है। आवंटित की जानी वाली भूमि सीलिंग, चरागाह, वन विभाग या अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नही है व नदी, नाला व झील, तालाब पेटा की भी नही है। इस प्रकार समस्त कार्यवाही एवं खानापूर्ति के बाद अपीलार्थी को भूमि आवंटित की गयी तब से ही भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा बराबर चला आ रहा है। अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण को भूमि के तीन वर्ष बाद रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधिनस्था न्यायालय में धारा 14 (4) का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में बिना कोई उचित समय दिये केवल 03 माह में निर्णित कर दिया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने पिछले काफी समय से आवंटित भूमि पर अपना कब्जा बताया है किन्तु कोई सबूत दस्तावेज पेश नही किए बल्कि उक्त भूमि पर अपना मकान होना बताया है यदि मकान होता तो

रेस्पोडेंट/प्रार्थी कहां रहता है उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, सुरक्षा कार्ड इत्यादि अवश्य होते जो कि नहीं है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगवाई तो पटवारी हल्का द्वारा लोधिया द्वारा मौके की रिपोर्ट दिनांक 03.04.2016 को बनायी गयी जिसमें किसी भी पक्षकार का कब्जा नही होना बताया। अप्रेल में फसल कट जाती है व खेत खाली होते है, मुख्य बात यह है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी भूमि पर अपना मकान होना बताता है तो पटवारी रिपोर्ट में मकान तो था ही नहीं। यदि होता तो रिपोर्ट में अवश्य आता। यह अवश्य है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने बाद में अपने भुजबल व धनबल के बूते पर जमीन कब्जा करने की नियत से मकान बनाना प्रारंभ किया जिस पर अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है कि अपने बल पर मकान निर्माण से रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रोका। रेस्पोडेंट ने यह नही बताया कि आवंटन की किस शर्त का उल्लघंन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.05. 2016 में अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब बाबत गोलमोल लिखा है जिससे पता नहीं चलता है कि प्रार्थना पत्र का जवाब रेकार्ड पर है या नही, जवाब हेतु मौका दिया गया, या पहली पेशी पर ही जवाब बंद कर दिया गया। ऐसी क्या जल्दी थी कि प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2016 को पेश हुआ और उसके साढे तीन महिने में फैसल कर दिया गया जबकि रेस्पोडेंट/प्रार्थी की ओर से न तो कोई सबूत दस्तावेज या गवाही (शपथ पत्र) इत्यादि पेश किए है और नही किसी पडौसी आदि का शपथ पत्र पेश हुआ है, जबकि आवंटन नियमों के तहत हुआ है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है साथ ही धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। मयाद के प्रार्थना पत्र का जवाब भी अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की और से पेश नहीं हुआ और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण ही किया, सीधे ही रेस्पोडेंट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को किस आधार पर दर्ज किया जाकर बिना कोई गवाह सबूत व जवाब के स्वीकार किया गया इससे यह साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णरूप से तथ्यों एवं कानून के परे जाकर आनन–फानन में प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। अतः उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट्स/अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर आवंटन बहाल रखाया जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स/प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का पेश किया है जिसके तहत प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी वाके मौका शकरकंद पटवार सर्कल लोदिया तहसील धरियावद में आराजी नम्बर 189 मीन रकबा 12.02 बीघा स्थित है जिस पर रेस्पोडेंट्स/प्रार्थी का अपने बापदादा के समय से निर्विवाद रूप से भुगत भोग चला आ रहा है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होकर काश्त में चली आ रही है तथा अपने निवास हेतु मकान बना रखा है तथा परिवार सहित काश्त कर अपना जीवन यापन कर रहा है। अपीलांट्स/अप्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारियों को गुमराह कर एक बीघा आराजी का आवंटन अपने नाम से दिनांक 07.02.2013 को करा लिया था, जो सरासर गलत होने से रेस्पोडेंट्स/प्रार्थी को ज्ञात होने पर उक्त आवंटन निरस्त करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थी के प्रार्थना पेश करने पर तहसीदार, धरियावद को मौका रिपोर्ट हेतु नियुक्त करने पर गिरदावर एवं पटवार हल्का नाड से राजस्व रेकार्ड के साथ दिनांक 03.04.2016 को मौके पर उपस्थित हुए जहां पर उन्होने रेस्पोडेंट/प्रार्थी एवं अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की मौजुदगी में मौका पर्चा बनाया जिसमें भी अपीलांट्स/अप्रार्थीगण का कहीं से कहीं लगाकर किसी प्रकरा का कोई कब्जा नही बताया है। तथा अपनी रिपोर्ट में भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड होकर मौके पर पडत पडी हुई होना बताया। आवंटन होने के तुरंत बाद कमेटी द्वारा मौके पर जाकर आवंटन ग्रहिता को मौके पर कब्जा सिपुर्द कर कब्जा रिपोर्ट मय कमेटी के तैयार की जाकर गैर खातेदारी का आदेश दिया जाता है, लेकिन आवंटन कमेटी द्वारा मौके पर जाकर किसी प्रकार से अपीलांट्स/अप्रार्थीगण को कब्जा सिपुर्द नहीं किया है। अगर किया होता तो आवंटन की पत्रावली के साथ संलग्न होता। अपीलांट्स/अप्रार्थीगण का आवंटन के बाद कब्जा होता तो उक्त आराजी अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होकर गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड होती लेकिन अपीलांट्स/अप्रार्थीगण का किसी प्रकार से आवंटन की आराजी पर कब्जा नही होने से उक्त आराजी आज भी बिलानाम सरकार स्थित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किया जाने का निवेदन है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.05.2016 को किया गया है तथा अपील न्यायालय में 23.08.2016 को पेश की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन व शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है तथा निवेदन किया है कि अपीलाण्ट के अधिवक्ता से निर्णय की जानकारी नहीं हुई तथा उसे निर्णय की जानकारी दिनांक 10.08.2016 को होने पर उसके द्वारा अंदर जानकारी मियाद प्रस्तुत कर दी। प्रकरण में अत्यल्प विलम्ब को न्यायहित, आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन की जाकर अपील निर्णयार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम अपील में गुणावगुण पर विचार करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का आवंटन खारिज करने का प्रमुख कारण आवंटी को मौके पर भूमि सुपुर्द नहीं करना, सनद जारी नहीं करना एवं जमाबंदी में अमल दरामद नहीं होना तथा मौके पर कब्जा भी नहीं होने के आधार पर आवंटन खारिज किया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा तहसीलदार, विधायक, विकास अधिकारी व सरपंच की सलाहकार समिति के माध्यम से आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में आराजी नं0 189 मीन में से एक बीघा भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी के भी हस्ताक्षर है। यह आवंटन कमाण्ड क्षेत्र में किये जाना सुस्पष्ट है। हालाकि रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु आवेदन कृषि भूमि (नोन कमाण्ड) आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है जबकि आवंटन कमाण्ड क्षेत्र में निरस्तीकरण हेतु कमाण्ड क्षेत्रों में भूमि आवंटन नियम 1963 के तहत आवंटन निरस्तीकरण नियम 17–ए के तहत किया जाता है। विधि एवं नियमों के स्थान पर मूल आवंटन अथवा उसके विधिक नहीं होने की विवेचना किये जाने की मंशा एवं न्याय को दृष्टिगत रखते हुए हम इन तकनीकी आधारों पर विवेचन नहीं करते। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाये जाने हेतु अपने आवेदन में प्रमुख आधार अपना कब्जा होना बताया गया है। यह सुस्पष्ट है कि भूमि राजकीय है

तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का कोई **Locus Standi** नहीं होता। इस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपना अतिक्रमण होने की भी कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा पर्चा मौका दिनांक 25.06.2013 के अनुसार भी भूमि अभी भी पड़त होना स्पष्ट है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी का अतिक्रमी होने के कारण कोई **Locus Standi** नहीं बनता तथा उसके अतिक्रमी होना भी स्पष्ट नहीं है तथा न ही उसके द्वारा उक्त भूमि के आवंटन/नियमन बाबत् कोई आवेदन पेश किया जाना भी स्पष्ट है। तद्नुसार उक्त आवेदन के सन्दर्भ में अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया कोई **Locus Standi** नहीं बनता।

प्रकरण में किस भी आवंटन की जो कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है, उसमें आवंटन की वैद्यता एवं आवंटन को **Fraud** या **Misrepresentation** से प्राप्त नहीं किया गया हो, यह देखा जाना प्रमुख होता है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन खारिज किये जाने का आधार अपीलाण्ट को भूमि का कब्जा सुपुर्द नहीं किया जाना, पट्टा जारी नहीं होना एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने के आधार पर आवंटन निरस्त किया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है। प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी द्वारा यह उजर लिया गया है कि कमाण्ड भूमि आवंटन नियम 1968 के अनुसार आवंटन अधिकारी जिला कलक्टर होता है परन्तु उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.11.2012 के अनुसार आवंटन अधिकारी की शक्तियां दिनांक 10.01.2013 से 20.02. 2013 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा व राजस्थान प्रशासनिक सेवा के शिविर प्रभारी अधिकारियों को दिया जाना स्पष्ट है, तद्नुसार आवंटन सलाहकार समिति की वैद्यता व कार्यों बाबत् कोई विधिक विसंगति नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन विधिक रूप से किया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी के भी उक्त आवंटन पर हस्ताक्षर है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि जब भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत् भूमि आवंटन किया गया है तथा इसके पश्चात्वर्ती कब्जा दिया जाना, पट्टा जारी करना एवं राजस्व अभिलेख में उसके अमल दरामद किये जाने का कार्य राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाना होता है। इसमें आवंटी की कोई भूमिका (**Role**) नहीं होता है, तद्नुसार आवंटी के दायित्वाधीन कोई विधिक दायित्व नहीं है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया गया हो। न ही प्रकरण में किसी प्रकार का कोई **Fraud**

या **Misrepresentation** के तथ्य प्रकट आये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन आधारों पर आवंटन निरस्त किया गया है, वे सारभूत नहीं है। प्रकरण में यदि आवंटी द्वारा कमाण्ड प्रिमियम इत्यादि नहीं जमा करवाये गये हो या आवंटन में अन्य कोई विधिक अनियमितता हो या आवंटन **Fraud** या **Misrepresentation** के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ही आवंटन निरस्त योग्य होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर आवंटी के दायित्वाधीन जो दायित्व नहीं है, उनके आधार पर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं है। अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पुनः आवंटन की वैद्यता, आवंटन के **Fraud** या **Misrepresentation** से प्राप्त किये जाने अथवा नहीं किये जाने तथा भूमि की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में उभय पक्षों को सुनकर मौका जांच करवा कर निर्णय पारित करें।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण हमारी उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है तथा उभय पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तक उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई नवनिर्माण नहीं करें। पक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.11.2020 को पेश हों।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर